(6)

दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स 0135-2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जलभवन' बी-ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून-248001

पत्रांक-: 1457 /से0.का अधि.अधि. 2011/2024-25 दिनांक :- 19/6/24

महत्वपूर्ण (ई0मेल द्वारा भी)

समस्त अधिशासी अभियन्ता
____
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
____

जलकल अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान
विकासनगर/ऋषिकेश।

विषय- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने वाले सेवाओ पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन सु0 प्रौ0 सुराज एवं वि0 प्रौ0-03 देहरादून के शासनादेश संख्या 89295/XXXIV(3)/23-20(02)21 देहरादून दिनांक 09 जनवरी 2023 से उत्तराखण्ड सरकार के समस्त विभागो/निगमो में सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हो चूके कार्मिको के सेवानिवृत्त देयको के सम्बन्ध में निम्नानुसार सेवाऐ उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 03 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित की गयी है।

1-उत्तराखण्ड सरकार के समस्त विभागो/निगमों से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चूके कार्मिको के सेवानिवृत्तिक देयकों से सम्बन्धित सेवाए

क्रम सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम
1	2	3	4	5	6
1	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	सचिव प्रशासन/अधिशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता	प्रत्येक वर्ष का जून माह पूर्व कार्यवाही करने के उपरान्त 01 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
2	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो,का पूरा किया जाना	"	सेवानिवृत्ति के 08 माह पूर्व कार्यवाही करने के उपरान्त 01 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	तदैव	तदैव
3	अदेयता प्रमाण -पत्र जारी किया जाना(सेवा अवधि में)	"	सेवानिवृत्ति होने के ठीक 02 माह पूर्व	तदैव	तदैव
4	सेवानिवृत्ति होने वाले पदधारी को पेशन प्रपत्र अग्रसारित किया जाना	"	सेवानिवृत्ति होने के ठीक 06 माह पूर्व	तदैव	तदैव
5	मृत्यु के मामलो में पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	"	मृत्यू के 30 कार्यदिवस के अन्दर	तदैव	तदैव
6	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना की पूर्ति	"	सेवानिवृत्ति के 07 माह पूर्व मृत्यु की दशा में 30 कार्यदिवस के अन्दर	तदैव	तदैव
7	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण	"	सेवानिवृत्ति के 05 माह पूर्व	तदैव	तदैव
8	आपत्तियों का निराकरण	"	आपत्ति प्राप्त करने के 07 कार्यदिवस के अन्दर	तदैव	तदैव
9	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप से दिया जाना सम्भव न हो)	"	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के 45 कार्यदिवस के अन्दर	तदैव	तदैव

10	अविवाहित . विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री / विकलांग / मानसिक रूप से विक्षिप्त संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता	"	शुद्व दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर पेंशन प्रकरण पेंशन स्वीकृता प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना	तदैव	तदैव
11	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बन्धित "बीमा योजना" के अन्तर्गत भुगतान	"	सेवानिवृत्ति की तिथि से 30 कार्यदिवस के भीतर	तदैव	तदैव
12	जीवन कालीन अवशेष वेतन व भत्तो आदि का भुगतान / अन्तर की धनराशि का भुगतान	"	शुद्व दावा प्रपत्र प्राप्त होने से 30 कार्यदिवस के भीतर	तदैव	तदैव
13	सेवानिवृत्त / मृतक सरकारी सेवकों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान / अन्तर की धनराशि का भुगतान	"	शुद्व दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर	तदैव	तदैव
14	सेवानिवृत्त / दिवगंत सरकारी सेवकों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि का अविलम्ब अंतिम भुगतान / निर्धारित प्रकिया का त्वरित अनुपालन (क) जमा धनराशि का 90 प्रतिशत का भुगतान (ख) शेष 10 प्रतिशत का भुगतान	"	महालेखाकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के भीतर भुगतान किया जाना	तदैव	तदैव
15	राजकीय पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का भुगतान	"	समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त चिकित्सा दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस के भीतर	तदैव	तदैव
16	सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के अवशेष देयको का भुगतान	"	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर	तदैव	तदैव

अतः आपको उप सचिव उत्तराखण्ड शासन सूचना प्रौधोगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौधोगिकी–03 देहरादून के शासनादेश संख्या 89295/XXXIV(3)/23-20(02)21 देहरादून दिनांक 09 जनवरी 2023 की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 03 के अन्तर्गत उक्त अधिसूचित 16 सेवाओं में उक्तानुसार निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत प्रकरणो का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। यदि भविष्य में नियत समय अवधि में प्रकरण का निस्तारण न होने का प्रकरण मुख्यालय के सज्ञान में आता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शाखाधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

संलग्न–यथोपरि

(नीलिमा गर्ग)
मुख्य महाप्रबन्धक

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव,</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:–महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान (मुख्यालय) देहरादून / पौडी / नैनीताल / पिथौरागढ ।
2–सचिव प्रशासन उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन नेहरू कालोनी देहरादून।
3–समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान ——————
4–वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन नेहरू कालानी देहरादून ।
5–संगणन उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन नेहरू कालीनी देहरादून।

मुख्य महाप्रबन्धक